बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 02/04/2016

संख्या :– 347(11)/ अधिसूचना संख्या 346(11) दिनांक 02/04/2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR

HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 02/04/2016

No 346(11)/ In exercise of powers conferred by proviso to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment and service conditions in the Non Medical Assistant Cadre under Leprosy Control Programme under the Health Department:-

1. Short title, extent & commencement. - (1) These Rules may be called as the " Bihar Non Medical Assistant Cadre Rules, 2016."

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Definitions. - In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context:

(i) ' Government' means Bihar State Government ;

(ii) ' Department' means Health Department ;

(iii) 'Commission ' means Bihar Staff Selection Commission;

(iv) 'Appointing Authority' means Director-in-Chief, Health Services, Bihar;

(v) "Cadre" means Bihar Non Medical Assistant cadre; and

(vi) "Appendix" means appendix appended to these Rules.

3. Constitution of cadre. - The Cadre of Non Medical Assistant shall be state level. In this cadre, number of posts in each category and total number of posts in the cadre shall be as many as may be sanctioned by the Government, from time to time.

4. Chain of Posts of the cadre. - Different categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix.

5. Recruitment. - Appointment in this cadre shall be by direct recruitment to the basic grade posts (Non-Medical Assistant) on the basis of recommendation of the Commission.

347(11) / 2/4/2016

6. Qualifications. - (1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be Pass in Intermediate/10+2 (Science).

(2) For direct recruitment in the Bihar Non Medical Assistant Cadre, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government.

(3) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of Recruitment. - (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition, The Commission shall invite applications after advertising vacancies and shall select candidates on the basis of Inter/10+2 Level Examination according to provisions of the Bihar Staff Selection Commission Conduct of Examination Rules, 2010.

(3) After preparation of merit list on the basis of sub-rule(2), preliminary scrutiny of certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Appointing Authority, and thereafter reservation categorywise final recommendation in accordance with the requisitioned vacancies shall be sent to the Appointing Authority. At the level of the Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

347(11)
21/4/2016

(4) After recommendation of the Commission, it shall be be necessary to comply with instructions issued by the Government, from time to time, with respect to the procedure of appointment.

8. Probation period. - After appointment the candidate will be under probation. Probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in the extended period also, then the Appointing Authority may terminate service of such Non-Medical Assistant. Without any show cause.

9. Training. - During probation period, the probationer Non-Medical Assistant shall have to undergo such training as may be determined by the Department.

10. Departmental Examination. - The Non-Medical Assistant shall have to pass the Departmental Examination condected by the department. The syllabus of Departmental Examination will be determined by the Department.

11. Confirmation. - On satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of departmental examination, Non-Medical Assistant may be confirmed in the service.

12. Seniority. - The inter-se seniority of Non-Medical Assistant shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

13. Chains of Promotion. - (1) Subject to availability of vacancy, confirmed Non-Medical Assistant may be considered to be promoted on the chain of posts for promotion mentioned in Appendix, according to merit-cum-seniority.

347(11)
21/4/2016

(2) For promotion, it shall be necessary to comply the instructions with respect to "KALAWADHI" issued by the Government, from time to time.

(3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and character Roll, P.A.R., allegation, departmental proceedings, criminal proceedings etc., shall be required at the time of consideration of promotion.

14. Departmental Promotion Committee. - Promotions may be considered on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

15. Reservation. - It shall be necessary to comply with Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time.

16. The chain of posts mentioned in Appendix shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix, then the Appendix shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. The personnel already appointed/promoted and working to the posts of this cadre mentioned in Appendix, before coming into force of these Rules shall be deemed to be automatically included in this cadre.

347(ii)
2/4/2016

18. Residue matters. - For the subjects which have not been provided in these Rules, provisions of relevant Codes/Rules/Resolutions/ Instructions of the Government shall apply.

19. Interpretation. - If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect decision of the Department after consultation with the Law department. shall be final.

20. Removal of difficulties. -

If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department shall have powers to remove such difficulty by general/special order which is not in consistent with provisions of these Rules, after consultation with the Law Departments.

21. Repeal & Savings. - (1) The Rules and all Resolutions, Orders, Instructions etc. issued earlier, from time to time, by the Department, with respect to this cadre, are have by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in exercise of powers conferred by aforesaid Rules, Resolutions, Orders, Instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, presuming that these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

347(11)
21/4/2016

By order of the Governor of Bihar,

Joint Secretary to Government

Appendix

[See Rule 2 (vi), 4, 13, 16, 17]

Chain of posts in Bihar Non Medical Assistant Cadre

Sl. No.	Category	Name of Posts	Remarks
1-	Basic category	Non-Medical Assistant	
2-	First Chain of post	Medical Social Worker	
3-	Second Chain of Post	Senior Medical Social Worker	
4-	Third Chain of Post	Medical Social Worker Supervisor	

Note :- The Pay Band and Grade Pay of all aforesaid category shall be the same as determined by the Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar,

Joint Secretary to Government

ज्ञापांक :– 347 (11) पटना, दिनांक :– 02.04.2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक –02/04/2016

संख्या:– 11/कुष्ठ (स्था०)06/2014,346(11)/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अचिकित्सा सहायक संवर्ग में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (1) यह नियमावली "बिहार अचिकित्सा सहायक संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।–** जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

   (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;

   (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

   (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार अचिकित्सा सहायक संवर्ग; तथा

   (vi) 'परिशिष्ट से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. **संवर्ग का गठन।–** अचिकित्सा सहायक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान**।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट के अनुसार होंगे।

5. **भर्ती**।– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (अचिकित्सा सहायक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. **अर्हताएँ**।– (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडियट /10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता होगी।

   (2) अचिकित्सा सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय – समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

   (3) संबंधित वर्ष 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया**।– (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

   (2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार इन्टर/+2 स्तरीय परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

   (3) उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

   (4) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

346(11)
21/4/16

8. **परिवीक्षा अवधि।**– नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे अचिकित्सा सहायक को बिना मिली सूचना के सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में परीक्ष्यमान अचिकित्सा सहायक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।**– अचिकित्सा सहायक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अचिकित्सा सहायक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।**– अचिकित्सा सहायकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

13. **प्रोन्नति के सोपान।**– (1) सेवा में सम्पुष्ट अचिकित्सा सहायकों को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी०ए०आर० संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

346(II)
2/4/16

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**– प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. **आरक्षण।**– सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट में उल्लिखित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट में अंकित पदसोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. **अवशिष्ट मामले।**– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. **निर्वचन।**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अन्तिम होगा।

20. **कठिनाई का निराकरण।**– यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को किसी सामान्य/विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

346 (II)
21/4/16

21. **निरसन एवं व्यावृति।**– (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय – समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

346(II)
2/4/16

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/4/16

सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

[नियम 2 (vi), 4, 13, 16, 17 देखें]

बिहार अचिकित्सा सहायक संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	अचिकित्सा सहायक	
2.	प्रथम सोपान	चिकित्सा समाज सेवक	
3.	द्वितीय सोपान	वरीय चिकित्सा समाज सेवक	
4.	तृतीय सोपान	चिकित्सा समाज सेवक पर्यवेक्षक	

नोट :– उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे वही होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित् की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –346 (11)/पटना, दिनांक 02/04/2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट

सरकार के संयुक्त सचिव